जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 22.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नगीना फाटक रेलवे क्रासिंग से रजत पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम रंडावली थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर को एक मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट चेचिस नंबर / इंजन नंबर (अधूरा मिटा हुआ) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 906/2024 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस बनाम रजत उपरोक्त पंजीकृत किया गया। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बंध में जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रजत पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम रंडावली थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी –

मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट चेचिस नंबर / इंजन नंबर (अधूरा मिटा हुआ)

अभियुक्त रजत का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 906/2024 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 778/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)/345(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 899/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)/345(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 901/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)/345(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 904/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(5)/318(4)/345(3) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 773 अरुण थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1084 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 2502 विशाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 22.09.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 395/24 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 398/24 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को छीने गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.08.2024 को वादी श्री यशपाल पुत्र जानकी प्रसाद निवासी सब्जीपुर खाता थाना शाही जनपद बरेली ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.08.2024 को 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का मोबाइल रियल-मी C-53 को झपट्टा मारकर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 395/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.08.2024 को ही वादी कोमल कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम फीना थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर ने भी तहरीर दी कि दिनांक 13.08.2024 को वादी संजीवनी हॉस्पिटल के पास टहल रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्ति वादी का मोबाइल वीवो Y-20G झपट्टा मारकर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 398/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 02 अभियुक्त 1.पिंकी उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह 2.राजन पुत्र बनारसी लाल निवासीगण मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश मे आये अभियुक्त पिंकी उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से थाना धामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 395/24 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बंधित मोबाइल फोन रियल-मी C-53 बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त पिंकी उर्फ पुष्पेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अमरोहा में भी 08 अभियोग पंजीकृत है। पिंकी उपरोक्त के सहअभियुक्त राजन की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

पिंकी उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा

अभियुक्त पिंकी उर्फ पुष्पेन्द्र का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 163/2018 धारा 379/411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा
2. मु0अ0सं0 164/2018 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना गजरौला जनपद अमरोहा
3. मु0अ0सं0 162/2019 धारा 323/504 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा
4. मु0अ0सं0 539/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
5. मु0अ0सं0 109/2020 धारा 207 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गजरौला जनपद अमरोहा
6. मु0अ0सं0 680/2022 धारा 307/504 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा
7. मु0अ0सं0 693/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गजरौला जनपद अमरोहा
8. मु0अ0सं0 115/2023 धारा 414 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रजबपुर जनपद अमरोहा
9. मु0अ0सं0 395/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 398/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक मोबाइल रियल-मी C-53

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 1936 जयप्रकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 895 रणजीत सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना स्योहारा **दिनॉक 22.09.2024**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा। 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.09.2024 को वादी नासिर अंसारी पुत्र मौ0 इशहाक निवासी सुमालखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. राजवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2. अन्ना पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के सोने चांदी के आभूषण व कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 464/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 22.09.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राजवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2. अन्ना पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी किये गये सोने चांदी के आभूषण व अन्य सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि अभियुक्तो ने दिनांक 03.07.2024 को ग्राम कोलासागर थाना स्योहारा के एक मकान से चोरी की थी तथा दिनांक 19.07.2024 को ग्राम जमालपुर महीपत से एक घर से चोरी की गयी थी। उक्त चोरियों के संबंध में थाना स्योहारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 320/24 धारा 305 बीएनएस व मु0अ0सं0 346/24 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत है। उपरोक्त दोनो अभियोगो से संबंधित चोरी किये सामान को भी अभियुक्तों की निशादेही पर बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.राजवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.अन्ना पुत्र मौ0 हनीफ निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1.चोरी किये गये पीली व सफेद धातु के आभूषण, गैस सिलेण्डर व इन्वर्टर आदि कीमती घरेलू सामान (मु0अ0सं0 464/24 से संबंधित)

2.01 अंगूठी पीली धातु, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु, 04 हजार नगदी आदि (मु0अ0सं0 320/24 से संबंधित)

3.01 लौग नाक की, 01 जोडी पायल सफेद धातु, 01 मंगल सूत्र व 01 जोडी टॉपस आदि (मु0अ0सं0 346/24 से संबंधित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 प्रशिक्षु विष्णु शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी रजनीश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी अर्जुनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक- 22.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 369/2024 धारा 75/351(2) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21/09/2024 को वादिनी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मुरसलीन पुत्र हसीनू निवासी ग्राम चंदापुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ छेडछाड की तथा उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 75/351(2) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुरसलीन पुत्र हसीनू निवासी ग्राम चंदापुरा थाना किरतपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुरसलीन पुत्र हसीनू निवासी ग्राम चंदापुरा थाना किरतपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 आशीष पुनिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2. का0 1120 राहुल चौधरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 22.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी गई मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.09.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत चांदपुर रोड पर स्थित रॉयल आर0जे0 अस्पताल से अज्ञात अभियक्त द्वारा वादी श्री राजपाल शर्मा पुत्र श्री लक्खी शर्मा निवासी मुकरपुर खेमा (बुखारा) थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर की मोटर साईकिल गलेमर रजि0सं0 UP20L6030 रंग महरुम को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 20.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पर दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 903/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरो की वीडियो फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अता हुसैन उर्फ जुल्फी पुत्र मौहम्म्द मुज्जफर निवासी मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाईकिल UP20L6080 गलेमर सहित गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अता हुसैन उर्फ जुल्फी पुत्र मौहम्म्द मुज्जफर निवासी मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटरसाईकिल UP20L6080 गलेमर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1198 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 112 गौरव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 22.09.2024**

ट्वीटकर्ता @IshratShanu द्वारा थाना स्योहारा क्षेत्र से सम्बंधित किये गये ट्वीट के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 22.09.2024 को ट्वीटकर्ता Shanu Siddiqui press reporter (@IshratShanu) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया गया "पुलिस की लापरवाही पड़ रही है आमजन पर भारी.अपराधियो को मिल रही है खुली छूट इसलिए अब खुलकर हो रही है आमजन के साथ लूट अब ग्राम खानपुर के निकट एक राहगीर से लुटेरों ने लुटा फोन और नकदी.थाना प्रभारी जी लगातार लूट और चोरी रोकने में हो रहे विफल पुलिस पर लग रहे सवाल या निशान"

उक्त प्रकरण के सम्बंध में की गयी जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि आवेदक श्री भूदेव पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम रहटौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा दिनांक 21.09.2024 को समय शाम 08:00 बजे मोटरसाईकिल से ताजपुर से अपने घर जा रहा था जब खानपुर पुलिया के पास पहुँचा तो तीन अज्ञात लडकों ने उसक मोबाइल व पाँच हजार रूपये लूट लेने आदि अंकित किया गया था। जॉच के दौरान घटना की सत्यता जानने के सम्बन्ध में आवेदक भूदेव से घटना के बारे में जानकारी की गयी की गयी तो आवेदक भूदेव द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 21.09.2024 को समय सुबह करीब 09 बजे नहर में मछली का शिकार करने गया था, उसके द्वारा अपने कपडे बाहर नहर के किनारे निकाल दिये गये थे, जिनमें मोबाइल रखा था तथा वह शिकार करते हुए दूर पहुँच गया और करीब 03 बजे वापस लौटा तो कपडो में मोबाइल नहीं मिला तथा लोगो के बहकावे में आकर लूट की घटना प्रार्थना पत्र में लिखाया जाना बताया गया, जिसकी पुष्टि आवेदक भूदेव द्वारा दिये गये वीडियो रिकार्डिंग कथनों से भी होती है। प्रकरण में यह भी तथ्य प्रकाश में आये है कि आवेदक जिस मोबाइल के लूटने के बारे में बता रहा है, वह मोबाइल आवेदक का नहीं है, बल्कि उसके गाँव के रहने वाले शिवम पुत्र जयपाल का है, जो कि शिवम द्वारा करीब 02 माह पहले 32 हजार रूप्ये में किश्तों पर लिया गया था। इस प्रकार आवेदक के साथ लूट होने की घटना के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। कृपया बगैर पुष्टि किये भ्रामक खबर प्रसारित न करें।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- रिजर्व पुलिस लाइन **दिनांक 22.09.2024**

रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड में स्वस्थ जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन हेतु आयोजित योगा कार्यक्रम के संबंध में।

आज दिनांक 22.09.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर परेड ग्राउण्ड में स्वस्थ जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन एवं दैनिक जीवन में योगाभ्यास के महत्व हेतु योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मु०आ०ना०पु० पदोन्नत कोर्स प्राप्त कर रहे मुख्य आरक्षी एवं रिजर्व पुलिस लाइन जनपद बिजनौर के पुलिस फोर्स द्वारा योगाभ्यास में प्रतिभाग किया गया। योगा कार्यक्रम का संचालन योगी अनन्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ट्रस्ट जनपद बिजनौर के डॉ श्री नरेन्द्र सिंह (आहार आयुर्वेदचार्य एवं प्राकृतिक चिकित्सक), श्री सोमदत्त शर्मा (योग गुरु), श्री ओ०पी० शर्मा (आई०एन०ओ० जिलाध्यक्ष), श्री अजय गर्ग (आई०एन०ओ० संरक्षक), श्री प्रबोध रंजन (आई०एन०ओ० सदस्य), श्री गजेन्द्र शर्मा (आई०एन०ओ० सदस्य) द्वारा किया गया। जिसमें पुलिस बल को स्वस्थ जीवन शैली कैसे रखे, योग करके तनाव मुक्त कैसे रहे तथा दैनिक जीवन में योगाभ्यास करके स्वयं को स्वस्थ कैसे रखा जाये आदि जानकारी दी गयी। योग कार्यक्रम की थीम बिना दवाई के अपना डॉक्टर कैसे बने रखी गयी। योगा कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन जनपद बिजनौर, व अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।